



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 90/2012

वादी

मांगीलाल पुत्र श्री मुकनाराम
जाति सीरवी, निवासी बेरा गहलोतो
का खारचिया, कृषकनगर स्कूल के
पास, बीजासनी रोड़ बिलाड़ा
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

1. मलाराम पुत्र श्री लच्छाराम
2. भंवरलाल पुत्र श्री लच्छाराम
3. हिम्मताराम पुत्र श्री पुरखाराम
जातियान सीरवी निवासीगण
बेरा गहलोतो का खारचिया
कृषकनगर स्कूल के पास,
बीजासनी रोड़, बिलाड़ा
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित वकील वादी इस मामले को आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा वकील वादी इस प्रकरण को जरिये विद्रोवल खारिज करवाना चाहते हैं।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट जरिये विद्रोवल के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय सरै इजलास आज दिनांक 28.06.2017 को सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा